प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 24.11.2025

सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई

यातायात माह एवं अवैध शराब तस्करी विरोधी अभियान के तहत थाना दुद्धी पुलिस की जबरदस्त कामयाबी – ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही 680 पेटियों में 6085 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (शराब व ट्रक की अनुमानित कीमत 01 करोड़ 35 लाख रुपये) बरामद ।

यातायात माह चेकिंग एवं अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध सोनभद्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी श्री राजेश कुमार राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुद्धी पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। दिनांक 23.11.2025 को मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना (बिहार) द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना दुद्धी पुलिस टीम द्वारा रेणुकूट–दुद्धी मार्ग, ग्राम कादल के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक संख्या RJ 09 GE 6492 को रोका गया। तलाशी में ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही—
680 पेटी,
15120 बोतल,
6085.44 लीटर
अवैध अंग्रेजी शराब (मैकडावल नं.1 एवं इम्पीरियल ब्लू व्हिस्की ब्राण्ड)
बरामद की गई। बरामद शराब व ट्रक की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपये है। मौके से एक अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया।
इस संबंध में थाना दुद्धी पर मु0अ0सं0–293/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS एवं 60/63/72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार अभियुक्त बभूता राम ने पूछताछ में बताया कि गिरफ्तार ट्रक संख्या RJ 09 GE 6492 का स्वामी संजय सिंह देवड़ा निवासी रतलाम/चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) है। उसके द्वारा पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब लोड कराई गई थी। शराब की पेटियों को छुपाने के उद्देश्य से ट्रक में पीछे की ओर धान की भूसी एवं लकड़ी के बुरादे लादे गए थे। ट्रक स्वामी द्वारा उसे चावल की बिल्टी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे, ताकि रास्ते में किसी भी जांच के दौरान इन्हें दिखाकर ट्रक को सामान्य मालवाहक बताकर निकल सकें। पूछताछ में अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त शराब को बिहार राज्य में डिलीवर किया जाना था तथा डिलीवरी स्थल की अंतिम जानकारी उसे फोन पर दी जानी थी। अवैध तस्करी में प्रयुक्त शराब की असली बारकोड हटाकर उस पर दूसरा बारकोड चस्पा कर देते है । बरामद शराब पर भी बारकोड परिवर्तित पाए गए हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के कारण वहाँ अवैध शराब की अधिक कीमत मिलने से तस्करों को बड़ी आमदनी होती है। अभियुक्त इससे पूर्व भी शराब की ऐसे कई खेप इसी ट्रक मालिक के निर्देश पर ले जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त

बभूता राम पुत्र तिलोका राम, निवासी – उत्तरी डेर रेडाना, थाना रामसर, जिला बाड़मेर (राजस्थान) उम्र लगभग 22 वर्ष (ट्रक चालक)।

वांछित अभियुक्त

संजय सिंह देवड़ा पुत्र चन्द्र सिंह देवड़ा, निवासी – H.N.-132, वार्ड नं.9, तेजाजी मंडी, उसरागर, रतलाम (MP), C/O सेक्टर नं.1, गांधी नगर, चित्तौरगढ़ (राजस्थान)
(ट्रक/वाहन स्वामी)।

बरामदगी का विवरण

1.680 पेटी (15120 बोतल) – 6085.44 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब
2.अशोक लीलैंड ट्रक संख्या RJ 09 GE 6492 – (अनुमानित मूल्य 35 लाख रुपये)
3.एक एंड्रॉयड मोबाइल।
4.नकद 10,200 रुपये।
5.चार अदद कूटरचित प्रपत्र।

गिरफ्तारी/बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम-

1.उ0नि0 हरिकेश राम आजाद, प्रभारी चौकी कस्बा दुद्धी, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।
2.उ0नि0 जयशंकर राय, प्रभारी चौकी अमवार, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र
3.उ0नि0 श्यामजी सिंह यादव, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।
4.हे0का0 सर्वेश कुमार सिंह, हे0का0 मो0 खालिद खान, हे0का0 लक्ष्मण शंकर यादव, का0 आनंद कुमार यादव थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।